

वाराणसी विकास प्राधिकरण, वाराणसी।

विकास प्राधिकरण की अभ्युक्ति एवं पूर्णता प्रमाण-पत्र

श्री आनन्द कुमार अग्रवाल, निदेशक रुद्रा रियलटेक प्रा0लि0, आराजी सं0-291 व 292, मौजा-शिवदासपुर, परगना-देहात अमानत, वार्ड-दशाश्वमेध, वाराणसी पर प्रस्तुत ग्रुप-हाउसिंग भवन पर दिये गये उपरोक्त प्रमाण पत्र का परीक्षण प्राधिकरण के अवर अभियन्ता श्री गौरी शंकर, सहायक अभियन्ता, श्री अनिल कुमार दूबे एवं नगर नियोजक श्री मनोज कुमार द्वारा कर लिया गया है। स्थल पर निर्माण एवं विकास कार्य प्राधिकरण द्वारा स्वीकृत शमन मानचित्र परमिट संख्या-33/14/यू0हा0/शमन/विन्यास/वि0प्रा0/2020-21 दिनांक 20.06.2020 को निर्गत किया गया है, के अनुरूप सही पाया गया है। मुख्य अग्नि शमन अधिकारी, वाराणसी तथा आर्किटेक्ट द्वारा प्रस्तुत अभिलेखों को संज्ञान में लेते हुए सचिव/उपाध्यक्ष महोदय के अनुमोदन आदेश दिनांक 04.06.2020 के क्रम में उ0प्र0 नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम 1973 की धारा 15क(2) के अन्तर्गत पूर्णता प्रमाण-पत्र निम्नलिखित शर्तों के साथ जारी किया जाता है। स्वीकृत मानचित्र में आरोपित किसी शर्त हेतु प्रेषित शपथ-पत्र के अनुसार उल्लंघन करने की दशा में दी गयी अनुज्ञा स्वतः निरस्त मानी जायेगी। मुख्य अग्नि शमन अधिकारी की अनापत्ति पत्र सं0 एस0टी0/एफ0एस0/आई0-3(बी)/2015 दिनांक नवम्बर 02, 2018 में अंकित प्रतिबन्धों का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित करना होगा।

अभिलेख जो संज्ञान में लिये गये :-

1. मुख्य अग्नि शमन, अधिकारी, वाराणसी।

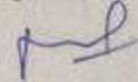
एस0टी0/एफ0एस0/आई0-3(बी)/2015

दिनांक नवम्बर 02, 2018

2. आर्किटेक्ट/स्ट्रक्चरल इंजीनीर का प्रमाण-पत्र

3. पृष्ठ भाग पर अंकित शर्त का अनुपालन करना होगा।

हस्ताक्षर-

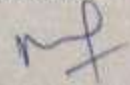


प्रभारी अधिकारी, मानचित्र।

शर्तें

1. विकासकर्ता को अपार्टमेंट एक्ट रेरा की शर्त के अनुसार एक वर्ष की अवधि में रेजीडेंट वेलफेयर सोसायटी का गठन कर विभाग को सूचित करना होगा।
2. मुख्य अग्नि शमन अधिकारी के द्वारा जारी अनापत्ति पर अंकित शर्तों का अनुपालन करना होगा।
3. पी0एन0जी0 गैस की उपलब्धता होने पर कनेक्शन आवंटन को लेना होगा।
4. पक्ष आशय का शपथ-पत्र दिया है कि रेजीडेंट वेलफेयर सोसायटी के हस्तान्तरण तक निर्मित फ्लैटों के अध्यासन के उपरान्त होने वाले कमियों को ठीक कराने के साथ-साथ समस्त अनुरक्षण कार्य विकासकर्ता के द्वारा कराया जायेगा।
5. अन्तिम रूप से भविष्य में पूर्णता पर यदि कोई देयता आरोपित होती है तो पक्ष को भुगतान करना होगा।
6. रेन वाटर हार्वेस्टिंग के क्रियाशील के सम्बन्ध में बरसात के मौसम में प्राधिकरण से पुष्टि कराकर क्रियाशील होने का प्रमाण-पत्र प्राप्त करना होगा।
7. वाटर हिटिंग सिस्टम छत पर स्थापित किया गया सोलर वाटर हिटिंग सिस्टम को रेजीडेंट वेलफेयर सोसायटी को हस्तान्तरण करना होगा।
8. वृक्षों को हरा-भरा रखने की जिम्मेदारी विकासकर्ता की होगी। रेजीडेंट वेलफेयर सोसायटी को हस्तान्तरण के समय वृक्षों को सोसायटी को हैंड ओवर करना होगा।
09. पार्किंग स्थल को पूर्णतया रिक्त रखना होगा इस पर किसी भी प्रकार स्थायी अथवा निर्माण नहीं करना होगा।
10. भू-स्वामित्व सम्बन्धित रास्ता सम्बन्धित, बटवारा सम्बन्धित किसी प्रकार विवाद होने की स्थिति में मानचित्र अस्वीकार माना जायेगा। जिसकी समस्त जिम्मेदारी पक्ष की होगी।
11. अपार्टमेंट एक्ट/ रेरा के शर्तों का अनुपालन सुनिश्चित करना होगा। प्रश्नगत प्रोजेक्ट के नाम से रेरा में पंजीकृत है। पंजीकरण संख्या- UPRERAPRJ5967
12. स्वीकृत मानचित्र में बेसमेंट तक लिफ्ट का प्राविधान था। जबकि शमन/कम्प्लीशन में स्टील्ट तक का ही प्राविधान है। ऐसी परिस्थिति में अध्यक्ष रेजीडेंट वेलफेयर सोसायटी से सहमति पत्र प्राप्त कर एक प्रति प्राधिकरण को उपलब्ध कराना होगा।
13. फ्लैटों का रेन्डम संयुक्त निरीक्षण हुआ है, यदि किसी फ्लैटों में कोई कमी पायी जाती है तो विकासकर्ता को कब्जे के समय पूर्ण कराकर देना होगा।

हस्ताक्षर-



प्रभारी अधिकारी, मानचित्र।